अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 63–128/2012

अपीलार्थी – सीता कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1426/प्रो0 दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि दिनांक 28.06.2012 को राघोपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 17 जगदीश दक्षिण केन्द्र पर महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती शैफाली कुमारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सेविका उपस्थित जबकि सहायिका सीता कुमारी अनुपस्थित पाई गई। सहायिका के दिनांक 28.06.2012 को अनुपस्थिति को लेकर कार्यालय ज्ञापांक 1164 प्रो0 दिनांक 09.08.2012 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं दिनांक 25.08.2012 को अपने स्पष्टीकरण के साथ सुनवाई हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेने हेतु निर्देश दिया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया एवं अपना –अपना पक्ष रखा।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 28.06.2012 को समय 11:25 बजे दिन में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय सेविका उपस्थित थी एवं सहायिका श्रीमती सीता कुमारी केन्द्र के पंचायत करजाईन की मुखिया श्रीमती पुजा देवी से छुट्टी लेकर उक्त तिथि को अवकाश में थी, चूँकि निरीक्षण तिथि को ही सहायिका की नवजात बच्ची जो मात्र दो माह की थी उसकी तबियत अचानक काफी खराब हो जाने के कारण चिकित्सक के पास ईलाज हेतु चली गई थी जिस कारण सहायिका केन्द्र से अवकाश में थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने साक्ष्य स्वरूप छुट्टी आवेदन पत्र जो स्थानीय मुखिया करजाईन पंचायत से स्वीकृत है एवं डॉक्टर दीपक कुमार M.B.B.S.MD. का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवलोकन कराया।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि C.W.J.C.No-1285/2010 (PLJR 2011 (3) Pase 140) माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना का आदेश दिखाये की सेविका/सहायिका अपने छुट्टी हेतु टेबूल टू टेबूल नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश C.W.J.C.No-317/2014 में अंकित है कि एक दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति में भी सेविका एवं सहायिका को चयन मुक्ति आदेश देना नियमतः त्रुटिपूर्ण एवं दुखद है यहाँ तो सेविका ने अपने पंचायत की मुखिया से बजाबता छुट्टी स्वीकृत करवाकर ही अपने नवजात बच्ची को दिखाने हेतु चिकित्सक के पास चली गई।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1426/प्रो0 दिनांक 24.09.2012 खंडित करने योग्य है चूँकि सहायिका बिधिवत तौर पर मुखिया से अपनी छुट्टी निरीक्षण तिथि को स्वीकृत कराकर ही अपनी बच्ची के ईलाज के लिए गई थी चिकित्सा प्रमाण पत्र में अंकित है कि नवजात बच्ची जो मात्र लगभग 2 माह की है, 102^{0} F बुखार था अतः ईलाज करना सर्वोपरि कार्य था। चूँकि मानव जब किसी सेवा में आता है तो विभागीय सेवा के साथ–साथ अपने परिवार की देख–भाल करना उसका कर्त्तव्य बन जाता है चूँकि अगर वह अपने परिवार के देख–भाल समय–समय पर नहीं करेगा तो फिर कौन उनके परिवार का देख–भाल करेंगा ? सहायिका ने तो अपने कर्त्तव्य के साथ परिवारिक जबावदेही का निर्वहन किया है यह अच्छी बात है अतः सहायिका का चयन रद्द करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है वह अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं थी। छुट्टी स्वीकृत

कराकर ही अवकाश में गई थी। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1426 प्रो0 दिनांक 24.09.2012 को खंडित करते हुए आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर चयन को बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17.3.2015.

उप-निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.3.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा